Vidhan Sabha Business

File No. MPP-A(4)-11/2008-II
Government of Himachal Pradesh,
Department of MPP & Power.

****

From

Sujan Singh Pathania,
MPP & Power Minister,
Himachal Pradesh.

To

The Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha,
Shimla-171004.

Dated : Shimla-2, the 16 December, 2016

Subject:- Notice regarding introducing of Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Bill, 2016 in the Vidhan Sabha.

Sir,

I have a honour to give notice of my intention to introduce the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Bill, 2016 pertaining to MPP and Power Department.

Three authenticate copies of the Bill alongwith three copies up-to-date copies of the Principal Act are sent herewith. The recommendations of H.E. the Governor of Himachal Pradesh to intoduce the aforesaid Bill in the Himachal Pradesh Vidhan has been obtained on the concerned departmental file.

Yours faithfully,

(Sujan Singh Pathania)

Endst. No. As above, Dated: Shimla-02 December, 2016

Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Secretary (GAD) to the Governemnt of Himachal Pradesh, Shimla-02.
2. The LR-cum-Principal Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-02.

Special Secretary (Power) to the
Government of Himachal Pradesh

2016 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016

खण्डो का क्रम

खण्डः

1. सक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

2016 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और सशोंधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष मे हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम होः—

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

धारा 3 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) में खण्ड़ (xi) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड़ अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः—

"(xii) अल्पकालिक खुली अभिगम प्रसुविधा और इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई.ई. एक्स.) से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से, प्रति के.डब्लयू.एच. विद्युत शुल्क — 51 पैसे की दर से।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3, इसमें विनिर्दिष्ट रीति में, ऊर्जा के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण का उपबन्ध करती है, किन्तु अल्पकालिक खुली अभिगम प्रसुविधा और इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई.ई. एक्स.) से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की दशा में, प्रतिशतता के आधार पर विद्युत शुल्क की संगणना करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई.ई. एक्स.) दरें दिन–प्रतिदिन आधार पर और कई बार उसी दिन भिन्न–भिन्न समय अन्तरालों पर घटती–बढ़ती रहती है जिसके फलस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि होती है। इसलिए, इस समस्या को दूर करने के आशय से अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर, अल्पकालिक खुली अभिगम प्रसुविधा और इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई. ई. एक्स.) से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से प्रतिशतता के आधार के बजाए प्रति के.डब्ल्यू.एच. इक्यावन पैसे की नियत दर से विद्युत शुल्क उद्ग्रहण करने का विनिश्चय किया गया है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुजान सिंह पठानिया)
प्रभारी मन्त्री।

धर्मशालाः
तारीखः 16 दिसम्बर, 2016

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर अल्पकालिक खुली अभिगम प्रसुविधा और इंडियन अनर्जी इक्सचेंज (आई.ई. एक्स.) से ऊर्जा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर प्रति के.डब्ल्यू.एच. 51 पैसे की दर से विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण का उपबन्ध करेंगे।

———

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

....शुन्य....

———

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(एम.पी.पी. एण्ड पावर विभाग नस्ति संख्याःएम.पी.पी.–ए(4)–11/2008–II)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2016 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

————————

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और सशोंधन करने के लिए विधेयक।

(सुजान सिंह पठानिया)
प्रभारी मन्त्री।

———

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

धर्मशालाः
तारीखः 16 दिसम्बर, 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराः

3. ऊर्जा के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण.– (1) किसी भी स्त्रोत से उत्पादित ऊर्जा, जिसका परिषद, किसी अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी या विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा उपभोग किया गया है या जिसका परिषद, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी या कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय कया गया है, पर विद्युत शुल्क के नाम से शुलक, निम्नलिखित रीति में उद्गृहीत किया जाएगाा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगाः–

(i) घरेलू उपभोक्ताओं से	– – तीन प्रतिशत की दर से,
(ii) गैर–घरेलू गैर–वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से	– – तीन प्रतिशत की दर से,
(iii) कृषि/सिंचाई या सहबद्व कियाकलाप प्रदाय के उपभेक्ताओं से	– – दस प्रतिशत की दर से,
(iv) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से	– – आठ प्रतिशत की दर से,
(v) औद्योगिक उपभोक्ता,–	
(क) लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं से	– – नौ प्रतिशत की दर से,
(ख) मध्यम दर्जे के और बड़े औद्योगिक उपभेक्ताओं से	– – तेरह प्रतिशत की दर से,
(vi) वाटर पम्पिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से	– – दस प्रतिशत की दर से,
(vii) बल्क सप्लाई उपभोक्ताओं से	– – दस प्रतिशत की दर से,
(viii) स्ट्रीट लाईटिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से	– – दस प्रतिशत की दर से,
(ix) टम्परेरी मीटरड सप्लाई उपभोक्ताओं से	– – चार प्रतिशत की दर से,

(x) उपरोक्त खण्ड (i) से (ix) — — दस प्रतिशत की दर से,
के अन्तर्गत न आने
वाले उपभोक्ताओं के अन्य प्रवर्गो से

(xi) डीजल जनरेटिंग सैटों द्वारा, — — तीस पैसे की दर से,
(या किसी भी प्रकार की अन्य रीति द्वारा),
ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण में
प्रयोग हेतु या अनुज्ञप्तिधारी या
उपभोक्ता के अपरू उपभोग के
लिए केपटिव/स्टैंडबाई हेतू,
उत्पादित विद्युत ऊर्जा की दशा
में, प्रति यूनिट विद्युत शुल्क।

परन्तु प्रत्येक प्रवर्ग के सामने वर्णित प्रतिशतता, केवल ऊर्जा प्रभारों (मीटर किराया, सेवा प्रभारों आदि को अपवर्जित करके) पर लागू होगी।

(2) धारा 3 की कोई भी बात, विद्युत के उपभोग या विकय के लिए लागू नहीं होगी जोः

(क) भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त हो या भारत सरकार या भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों के भीतर अन्य सरकार (सरकारों) को, उस सरकार द्वारा या ऊर्जा सेक्टर में लगी हुई अन्य उपयोगिताओं द्वारा उपभोग हेतु या विकय हेतु, विकीत की गई हो; या

(ख) भारत सरकार द्वारा किसी रेल के सन्निर्माण, रख–रखाव या चलाने (संचालन) में या उस रेल को चलाने (संचालन करने) वाली रेल कम्पनी द्वारा उपभुक्त हो या उस सरकार या ऐसी किसी रेल कम्पनी को किसी रेल के सन्निर्माण, रख–रखाव या चलाने (संचालन) हेतु उपभोग करने के लिए विकय की गई हो; या

(ग) किसी अनुज्ञप्तिधारी या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले उपभोक्ता द्वारा, उसके अपने उपभोग के लिए उपभुक्त हो; परन्तु जनरेटर की क्षमता दस किलोवाट से अधिक न हो।

(3) विद्युत शुल्क की संगणना के प्रयोजना के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, मीटर द्वारा दशाई गई खपत, मीटर की प्रथम रीडिंग की तारीख के पश्चात् आरम्भ करते हुए गणना में ली जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2016

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT Bill, 2016

(AS INTRODUCTION ELECETRICITY DUTY IN THE LEGISLATURE ASSEMBLY)

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT

Bill, 2016

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 3.

Bill No. 23 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No 13 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Act, 2016.

Amendment of Section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, in sub-section (1), after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:-

   "(xii) Consumers availing short term open access facility and availing power from Indian Energy Exchange (IEX) electricity duty per Kwh - @51 paise".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Electricity Duty Act, 2009 provides for levy of electricity duty on consumption or supply of energy in the manner specified therein, but in case of consumers availing short term open access facility and availing power from Indian Energy Exchange (IEX) the computation of electricity duty is not feasible in percentage terms as the IEX rates varies from day to day basis and many times in the same day over different time slots resulting into loss of revenue to the State Exchequer. Thus, in order to overcome this problem, it has been decided to levy electricity duty on the consumers availing short term open access facility and availing power from Indian Energy Exchange (IEX) at a fixed rate @ 51 paise per Kwh instead of percentage terms by making suitable amendments in the Act. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(SUJAN SINGH PATHANIA)
Minister in-charge

DHARAMSHALA
The 16th December, 2016

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted will provide for levy of electricity duty @ 51 paise per Kwh on the consumers availing short term open access facility and availing power from Indian Energy Exchange (IEX).

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(MPP& POWER DEPARTMENT File No. MPP-A(4)-11/2008-II)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Bill, 2016, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill by the Legislative Assembly.

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) (FIRST) AMENDMENT Bill, 2016

A

Bill

further to amend Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No. 13 of 2009)

SUJAN SINGH PATHANIA
Minister in-charge

(DR. BALDEV SINGH)
Principal Secretary (Law).

DHARAMSHALA
The 16TH DECEMBER, 2016.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) ACT 2009 (ACT NO. 13 OF 2009) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Section:

3. Levy of electricity duty on consumption or supply of energy–(1) There shall be levied and paid to the State Government on the energy, generated from any source, consumed by the Board, any licensee, electricity trader or generating company or supplied by the Board, such licensee, trader or company to the consumer, a duty to be called the electricity duty, in the following manner, namely:

(i)	domestic consumers	@3%,
(ii)	non domestic non commercial consumers	@3%,
(iii)	agricultural/irrigation or allied activities supply consumers	@10%,
(iv)	commercial consumers	@8%,
(v)	industrial consumers:	
	(a) small industrial consumers	@9%,
	(b) medium and large industrial consumers	@13%,
(vi)	water pumping supply consumers	@10%'
(vii)	bulk supply consumers	@10%,
(viii)	street lighting supply consumer	@10%,
(ix)	temporary metered supply consumers	@4%,
(x)	other category of consumers not covered under clauses (i) to (ix) above	@10% and,
(xi)	In case of electricity energy generated by diesel generating sets (or by what so ever mode) for use of construction of power projects or captive/standby for own consumption by the licensee or consumer, electricity duty per unit	@30 paise:

Provided that the percentage mentioned against each categories shall be applicable on energy charges only (excluding meter rent, service charges etc.)

(2) Nothing in section 3 shall apply to the consumption or sale or Start electricity which is-

(a) consumed by the Government of India, State Government or sold to the Government of India or other Government(s) within the territories of Indian Union for consumption or sale by that Government or other utilities engaged in power sector: or

(b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway; or

(c) consumed by the licensee or by consumer generating energy for their own consumption; provided the capacity of generator does not exceed 10 KW

(3) For the purpose of computing the electricity duty, the consumption shown by the meter, starting after the first meter reading date, after the issuance of the notification under sub-section (1) of section3 shall be taken into account.